भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 722

बुधवार, 08 फरवरी, 2017/19 माघ, 1938 (शक)

श्रम कानूनों में सुधार

722. **श्री प्रभात झा:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विगत दो-ढ़ाई वर्षों के दौरान सरकार द्वारा श्रम कानून संबंधी सुधारों, तकनीकी कदमों एवं कामगारों की सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कई नीतिगत कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन नीतिगत कदमों के क्रियान्वयन में राज्य सरकारों का अपेक्षित सहयोग मिल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) और (ख): समय की मांग को पूर्ण करने हेतु विधायी तंत्र को अद्यतन करने तथा श्रम कानूनों को उभरते आर्थिक और औद्योगिक परिदृश्य के लिए अधिक प्रभावी और समीचीन बनाने के लिए श्रम कानूनों में सुधार एक सतत प्रक्रिया है। तदनुसार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने अनुपालन की जटिलता को कम करने तथा पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाने हेतु प्रौद्योगिकी के प्रयोग के माध्यम से वैधानिक सुधारों के साथ-साथ शासन सुधारों दोनों के लिए अनेक सुधार पहलें की हैं ताकि श्रम कानूनों का बेहतर प्रवर्तन हो सके। इन पहलों में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित पहलें शामिल हैं:

(i) बोनस संदाय अधिनियम, 1965 को संशोधित करके बोनस की पात्रता तथा बोनस की गणना के प्रयोजनार्थ मजदूरी की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर क्रमश: 21000/-रुपये प्रतिमाह तथा 7000/-रुपये प्रतिमाह करना।

(ii) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में संशोधन के माध्यम से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सभी व्यवसाय एवं प्रक्रियाओं में नियोजन पर निषेध।

(iii) वेतन सीमा को 15000/-रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 21000/- रुपये प्रतिमाह करके कर्मचारी राज्य बीमा की व्याप्ति में विस्तार करना।

(iv) मजदूरी का भुगतान बैंक खातों के माध्यम से करने के लिए मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 के अंतर्गत सामर्थ्यकारी उपबंध करना।

(v) स्थापनों के लिए विशिष्ट श्रम पहचान संख्या (एलआईएन) आबंटित करने के लिए एकीकृत श्रम सुविधा पोर्टल प्रारम्भ करना, स्व-प्रमाणित एवं सरलीकृत ऑनलाइन वार्षिक विवरणी दायर करना तथा कम्प्यूटरीकृत पद्धति के माध्यम से पारदर्शी श्रम निरीक्षण योजना शुरू करना।

(vi) सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) के माध्यम से कर्मचारी भविष्य निधि खातों की संवहनीयता।

(ग) और (घ): विधायी सुधारों की प्रक्रिया में त्रिपक्षीय परामर्श के रूप में केन्द्रीय श्रमिक संघों, नियोक्ता संघों तथा राज्य सरकारों सहित पणधारियों के साथ परामर्श शामिल है। हाल ही के महीनों के दौरान विभिन्न वैधानिक सुधार प्रस्तावों के लिए सुझावों पर विचार-विमर्श करने के लिए अनेक ऐसी त्रिपक्षीय बैठकें आयोजित की गई हैं जिनमें सभी पणधारियों/राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा वैधानिक प्रस्तावों पर अपने सुझाव दिए।

****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 726

बुधवार, 8 फरवरी, 2017/ 19 माघ, 1938 (शक)

विमुद्रीकरण के कारण श्रमिकों द्वारा आत्महत्या किया जाना

726. श्री रिपुन बोरा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विगत तीन महीनों के दौरान सरकार के विमुद्रीकरण नियमों के कारण देश में काफी संख्या में श्रमिकों ने आत्महत्या की है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन महीनों के दौरान तत्संबंधी दर्ज किए गए मामलों की रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में मानव जीवन को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) से (ग): ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 727

बुधवार, 8 फरवरी, 2017/19 माघ, 1938 (शक)

वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि की स्थापना किया जाना

727. श्री के. आर. अर्जुनन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) न्यासियों द्वारा पुरजोर प्रतिरोध किए जाने के बावजूद भविष्य निधि की धनराशि को वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि की स्थापना के लिए प्रयुक्त कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि भविष्य निधि के धन का उपयोग उसके विभिन्न सदस्यों को भुगतान किए जाने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य हेतु नहीं किया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस नियम का उल्लंघन अथवा इसे रद्द क्यों किया गया?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क): जी, नहीं।

(ख): उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

(ग): कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 53 के अनुसार स्कीम के उपबंधों के अनुसार निधि, जब तक कि केन्द्रीय सरकार की पूर्व संस्वीकृति न हो निधि का व्यय निधि के अलग-अलग सदस्यों अथवा उनके नामितियों अथवा उत्तराधिकारियों अथवा विधिक प्रतिनिधियों के खाते में बकाया राशियों के भुगतान को छोड़कर किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।

(घ): कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1535

बुधवार, 15 मार्च, 2017/ 24 फाल्गुन, 1938

कर्मचारी भविष्य निधि के लाभार्थियों हेतु आवासीय योजनाएं

1535. श्री प्रभात झा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों के लिए आवासीय योजना लाने की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों की संख्या क्या है और क्या सभी सदस्यों को इस आवास योजना के तहत लाने का लक्ष्य है;

(घ) क्या इस आवासीय योजना संबंधी कार्य आरंभ कर दिए गए हैं तथा क्या सभी सदस्यों को चरणबद्ध रूप से आवास उपलब्ध कराने संबंधी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क) और (ख): सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, 1952 में आशोधन हेतु निम्नलिखित विशेषताओं के साथ नया पैराग्राफ 68 खघ जोड़ने का निर्णय लिया है:

- ईपीएफ के कम से कम 10 सदस्यों वाली किसी सहकारी समिति अथवा किसी आवासीय सोसाइटी का सदस्य रहते कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) का कोई सदस्य, रिहायशी मकान/फ्लैट की खरीद अथवा रिहायशी मकान के निर्माण/स्थल के अधिग्रहण के लिए निधि से 90 प्रतिशत तक निकासी कर सकता है।

- किसी सरकार/आवासीय एजेंसी/प्राथमिक ऋण देने वाली एजेंसी अथवा संबंधित बैंकों को बकाया भुगतानों अथवा ब्याज की वापसी हेतु मासिक किश्तों का भुगतान भी सदस्य के जमा खाते की धनराशि में से किया जाए।

(ग): 2015-16 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 31.03.2016 को कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) सदस्य खातों की कुल संख्या 17.14 करोड़ है। वर्ष 2015-16 के दौरान औसतन, अंशदान 3.76 करोड़ सदस्यों के संबंध में प्राप्त हुए हैं। योजना के अंतर्गत भविष्य निधि (पीएफ) खाते से निकासी की सुविधा केवल उन्हीं पीएफ सदस्यों को उपलब्ध होगी जो निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों।

(घ) और (ङ): ईपीएफ योजना, 1952 में अंत:स्थापित किया जाने वाला पैराग्राफ अधिसूचित नहीं किया गया है, अत: कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

******

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2326

बुधवार, 22 मार्च, 2017 / 1 चैत्र, 1939 (शक)

पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के शेयरों एवं इक्विटी में ई.पी.एफ. का निवेश

2326. डॉ. वी. मैत्रेयन:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) राशि के कुछ हिस्से का विभिन्न पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के शेयरों तथा इक्विटी के रूप में तथा गैर सरकारी क्षेत्र की कुछ कंपनियों के लाभप्रद शेयरों के रूप में निवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा शीर्ष की दस कंपनियों में निवेश की गई कुल राशि का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने संगठित तथा असंगठित दोनों क्षेत्रों के और अधिक कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि के दायरे में लाने के लिए कोई प्रयास किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार का इस संबंध में क्या रवैया है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) निफ्टी 50, सेन्सेक्स तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) के सूचकांकों के आधार पर विनिमेय व्यापार निधियों (ईटीएफ) में निवेश कर रहा है। ईपीएफओ अलग-अलग कंपनियों के शेयरों और इक्विटी में निवेश नहीं करता है।

(ख): 28 फरवरी, 2017 की स्थिति के अनुसार ईपीएफओ द्वारा ईटीएफ में निवेश की गई कुल राशि निम्नानुसार है:

(i) निफ्टी 50 और सेन्सेक्स सूचकांक आधारित ईटीएफ: 17,105 करोड़ रुपये।

(ii) सीपीएसई सूचकांक आधारित ईटीएफ: 1,504 करोड़ रुपये।

(ग) और (घ): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 20 या इससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान पर लागू है जो या तो अधिनियम की अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग में कार्यबद्ध कारखाना हो या ऐसा प्रतिष्ठान हो जिस पर केन्द्र सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह अधिनियम लागू किया गया हो।

कर्मचारी नामांकन अभियान, 2017 और अधिक कामगारों को ईपीएफओ के दायरे में लाने के लिए 01.01.2017 से 31.03.2017 तक की अवधि के लिए आरंभ किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत, एक नियोजक जो चाहे पहले से व्याप्त हो या अभी व्याप्त किया जाना हो, अभियान की अवधि के दौरान 01.04.2009 और 31.12.2016 के बीच किसी कारणवश गैर-नामांकित रहे कर्मचारियों की घोषणा करके इन कर्मचारियों को नामांकित करा सकता है। यह घोषणा केवल उन कर्मचारियों के संबंध में ही वैध होगी जो 1 जनवरी, 2017 की स्थिति के अनुसार जीवित हों तथा इन कर्मचारियों की सदस्यता की पात्रता का निर्धारण करने के लिए उनके प्रतिष्ठान या नियोजक, जैसा भी मामला हो, के विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7क या कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के पैरा 26ख या कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के पैरा 8 के अंतर्गत कोई कार्यवाही न की गई हो।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3124

बुधवार, 29 मार्च, 2017/8 चैत्र,1939 (शक)

ई.टी.एफ. में ई.पी.एफ.ओ. निवेश को बढ़ाना

3124. श्रीमती विजिला सत्यानंत:

श्री ए.के.सेल्वाराज:

क्या **श्रम और रोज़गार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार एक्सचेंज ट्रेड फंड में सेवानिवृत्ति निधि निकाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के निवेश को मौजूदा 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि हाल ही में इस मुद्दे पर कर्मचारी भविष्य निधि गठन के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड में चर्चा हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो उक्त बैठक में की गई चर्चा का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने क्या अन्तिम निर्णय लिया है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क): जी, नहीं, वर्तमान समय में नहीं।

(ख): जी, नहीं।

(ग): उपर्युक्त प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता है।

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3128
बुधवार, 29 मार्च, 2017/8 चैत्र, 1939 (शक)

रोज़गार सृजन के लिए विशेष योजनाएं

3128. श्री प्रभात झाः

क्या श्रम और रोज़गार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में रोजगार सृजन के लिए विगत दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा कई विशेष योजनाएं आरंभ की गई हैं और अपेक्षानुरूप विभिन्न क्षेत्रों में रिकार्ड रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं;

(ख) क्या श्रम सुधार की दिशा में केन्द्रीय सरकार द्वारा विगत ढाई वर्षों के दौरान उठाए गए कदमों के फलस्वरूप श्रमिकों के जीवन में अप्रत्याशित सुधार आया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) से (ग): रोजगार सृजन सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता रहा है। रोजगार एवं बेरोजगारी रुझानों के विश्वसनीय अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) कार्यालय तथा श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित किए जाने वाले श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। श्रम ब्यूरो द्वारा रोजगार एवं बेरोजगारी पर आयोजित किए गए सर्वेक्षणों के परिणाम के अनुसार, सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का अनुमानित कार्यबल 2013-14 एवं 2015-16 के दौरान क्रमशः 48.04 करोड़ व्यक्ति तथा 46.77 करोड़ व्यक्ति था।

इसके अतिरिक्त, श्रम ब्यूरो चुनिंदा श्रम-सघन एवं निर्यात उन्मुख क्षेत्रों में तिमाही रोजगार सर्वेक्षण आयोजित करता रहा है। सर्वेक्षण के कवरेज को 2016 के दौरान और अधिक उद्योगों/क्षेत्रों अर्थात विनिर्माण, निर्माण, व्यवसाय, परिवहन, शिक्षा, स्थास्थ्य, आवास एवं रेस्तरां तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी (आईटी)/व्यावसायिक प्रक्रिया आउटसोर्सिंग (बीपीओ) से बढ़ा दिया गया है तथा 2016 के दौरान सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2016 की तुलना में 1 अक्तूबर, 2016 के दौरान रोजगार में अनुमानित वृद्धि 1.10 लाख कामगार थी।

सरकार ने देश में रोजगार सृजन हेतु विभिन्न उपाय किए हैं जैसे अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना, व्यापक निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को तीव्रता से निष्पादित करना और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (एमजीनरेगा), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा संचालित दीन दयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई - एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करना।

सरकार मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया आदि जैसी विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है। उद्योग की बदलती हुई आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए स्किल इंडिया के तहत कार्यबल का कौशलीकरण सरकार का एक प्रमुख विषय है। एक नए कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय की स्थापना मंत्रालयों के बीच कौशल कार्यकलापों का समन्वय करने के लिए की गई है। युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करने हेतु लगभग 20 मंत्रालय 70 क्षेत्रों में कौशल विकास योजनाएं चलाते हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2016-17 में 1000 करोड़ रु. के आवंटन से एक नई योजना "प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना" आरंभ की गई है। योजना के तहत नियोक्ताओं को रोजगार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, जहां नए कर्मचारियों को दिए जाने वाले नियोक्ताओं के 8.33% ईपीएस अंशदान का भुगतान सरकार करेगी। वस्त्र (परिधान एवं बने बनाए वस्त्र) क्षेत्र में, सरकार 8.33% के ईपीएस अंशदान का भुगतान करने के अतिरिक्त नियोक्ताओं के 3.67% ईपीएफ अंशदान का भी भुगतान करेगी। सरकार ने एक रोजगार सघन क्षेत्र, वस्त्र क्षेत्र हेतु 6000 करोड़ रुपए के बूस्टर पैकेज की घोषणा की है।

सरकार ने रोजगार चाहने वालों के ऑनलाइन पंजीकरण एवं रोजगारों की पोस्टिंग तथा रोजगार संबंधी अन्य सेवाएं प्रदान करने हेतु एक पोर्टल (www.ncs.gov.in) के साथ राष्ट्रीय आजीविका सेवा का भी कार्यान्वयन किया है।

समय की मांग पर ध्यान देने के लिए विधायी व्यवस्था को अद्यतन करने के लिए श्रम कानूनों में सुधार करना तथा उन्हें उभरते हुए आर्थिक एवं औद्योगिक परिदृश्य के प्रति और अधिक प्रभावी तथा समसामायिक बनाना एक सतत प्रक्रिया है। विधायी सुधार की प्रक्रिया में त्रिपक्षीय परामर्श के रूप में केंद्रीय व्यवसाय संघों, नियोक्ताओं के परिसंघ तथा राज्य सरकारों सहित हितधारकों से परामर्श शामिल है। विगत 2 वर्षों के दौरान, विभिन्न विधायी सुधार प्रस्तावों, जहां केंद्रीय व्यवसाय संघों सहित सभी हितधारकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा अपने सुझाव दिए, पर सुझावों पर विचार करने के लिए ऐसी अनेक त्रिपक्षीय बैठकें आयोजित की गई हैं। श्रम कानूनों के सरलीकरण एवं एकीकरण के कार्य का उद्देश्य श्रम कानूनों के अनुपालन को आसान बनाना, प्रभावी प्रवर्तन एवं वेतन रोजगार, रोजगार सुरक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा बढ़ाना है।

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3137

बुधवार, 29 मार्च, 2017 / 8 चैत्र, 1939 (शक)

भविष्य निधि (पी.एफ.) खाता पोर्टेबिलिटी का विस्तार

3137. श्री पी.एल. पुनिया:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 'दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते' कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक कितने श्रमिकों को 'पीएफ अकाउंट पोर्टेबिलिटी' की सुविधा दी गई है, राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पीएफ खातों में कितनी राशि निष्क्रिय/दावारहित पड़ी हुई है और इस राशि को सही व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सरकार ने क्या कार्ययोजना बनाई है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार उक्त दावारहित धनराशि को किसी अन्य उपयोग में लिए जाने का कोई प्रस्ताव करती है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क): सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध (ईपीएफ एण्ड एमपी) अधिनियम, 1952 के अंतर्गत शामिल कर्मचारियों के लिए सुवाह्यता (पोर्टेबिलिटी) की व्यवस्था करता है। यह जॉब बदलने पर सदस्य के यूएएन डाटाबेस से संबद्ध बैंक खाते का विवरण, आधार एवं स्थायी खाता संख्या (पैन) का नियोक्ता द्वारा सत्यापन होने पर भविष्य निधि (पीएफ) में जमा राशि की सुवाह्यता को समर्थ बनाता है।

आधार से संबद्ध तथा सुवाह्य यूएएन की कुल संख्या 25,70,274 है। राज्य-वार विवरण अनुबंध में है।

(ख): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध (ईपीएफ एण्ड एमपी) अधिनियम, 1952 के पैरा 72(6) के अनुसार कतिपय राशियों को निष्क्रिय खातों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तथापि, ऐसे सभी खातों के निश्चित दावेदार हैं। 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार,

कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में 40,865.14 करोड़ रुपये की राशि को निष्क्रिय खातों के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

निष्क्रिय खातों में से भुगतान को सुविधाजनक बनाने हेतु कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा निम्नलिखित कार्रवाईयां की गई हैं:-

(i) ईपीएफओ ने सदस्यों को अपने निष्क्रिय खातों की पहचान में सहायता के लिए निष्क्रिय खाता ऑनलाइन हेल्प डेस्क नामक पोर्टल प्रारंभ किया है।
(ii) सदस्यों को उनके पीएफ खातों में जमा राशि को अंतरित कराने अथवा निकालने हेतु शिक्षित करने के लिए समय-समय पर इलेक्ट्रोनिक एवं प्रिंट मिडिया के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाए गए हैं।

गत चार वर्षों के दौरान निष्क्रिय खातों से लाभार्थियों को भुगतान की गई कुल राशि निम्नानुसार है:-

वर्ष	**भुगतान की गई राशि (करोड़ रुपये में)**
2012-13	2890.40
2013-14	4316.71
2014-15	6491.01
2015-16	5826.89

(ग): इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

* *****

अनुबंध

भविष्य निधि (पीएफ) खाता पोर्टेबिलिटी के विस्तार के संबंध में श्री पी. एल. पुनिया द्वारा दिनांक 29.03.2017 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3137 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

राज्य-वार भविष्य निधि (पीएफ) खाता सुवाह्यता

राज्य	संबद्ध सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन)
आंध्र प्रदेश	49,854
असम	6,719
बिहार	9,574
छत्तीसगढ़	12,524
दिल्ली	1,76,884
गोवा	9,880
गुजरात	1,75,256
हरियाणा	1,67,380
हिमाचल प्रदेश	18,236
झारखंड	14,896
कर्नाटक	5,16,283
केरल	43,180
मध्य प्रदेश	32,719
महाराष्ट्र	6,66,622
ओडिशा	31,373
पंजाब (चंडीगढ़ सहित)	41,063
राजस्थान	20,739
तमिलनाडु	2,42,666
तेलंगाना	1,50,016
उत्तर प्रदेश	84,336
उत्तराखंड	19,988
पश्चिम बंगाल	80,086
महायोग	25,70,274

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3769

बुधवार, 5 अप्रैल, 2017 / 15 चैत्र, 1939 (शक)

विशेष जमा योजना में ई.पी.एफ.ओ. द्वारा निवेश

3769. श्री के.आर. अर्जुनन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) ने शीर्ष स्तर के कॉरपोरेट बॉन्ड में सर्वोत्तम संभव दरों को प्राप्त करते हुए करीब 10,000 करोड़ रु. की सरकार की विशेष जमा योजना से इस वर्ष के अंत में अप्रत्याशित लाभ का बहुत अच्छा उपयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि ई.पी.एफ.ओ ने सरकार की विशेष जमा योजना से लगभग 4,700 करोड़ की ब्याज आय अर्जित की है जबकि अन्य एकल भविष्य निधि के साथ दोनों की आय 12,000 करोड़ रु. से अधिक हो सकती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) और (ख): फिलहाल, निवेश के लिए सरकार की विशेष जमा योजना उपलब्ध नहीं है। तथापि, दिसम्बर, 2016 की स्थिति के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) का सरकार की विशेष जमा योजना में 54,518.11 करोड़ रुपये का निवेश है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान ईपीएफओ ने विभिन्न अवसरों पर शीर्ष स्तर के कार्पोरेट बॉन्ड्स में निवेश किया है। इन कंपनियों में रूरल इलेक्ट्रिफीकेशन कॉर्पोरेशन (आरईसी), पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी), नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (एनटीपीसी) तथा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवेलपमेंट (नाबार्ड) शामिल हैं।

(ग) और (घ): अन्य एकल भविष्य निधियों की सरकार की विशेष जमा योजना से ब्याज आय का विवरण केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है। तथापि, गत तीन वर्षों के लिए सरकार की विशेष जमा योजना से ईपीएफओ की ब्याज आय का विवरण निम्नानुसार है:

1. 2016-17 : 4484 करोड़ रुपये
2. 2015-16 : 4741 करोड़ रुपये
3. 2014-15 : 4734 करोड़ रुपये

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3776

बुधवार, 5 अप्रैल, 2017/ 15 चैत्र, 1939 (शक)

ईपीएफओ में दावों के निपटान की ऑनलाईन सुविधा

3776. श्री टी. रतिनावेल:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मई, 2017 से कर्मचारी भविष्य निधि के आहरण तथा पेंशन निर्धारण सहित दावों के निपटान के लिए ऑनलाईन सुविधा का आरंभ कर सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन प्रति वर्ष एक करोड़ आवेदन प्राप्त करता है; और

(घ) क्या यह सच है कि सभी फील्ड कार्यालयों को सेन्ट्रल सर्वर से जोड़ने की प्रक्रिया जारी है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क) और (ख): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने सदस्यों को तत्काल तथा पारदर्शी तरीके से भविष्य निधि दावे, अंतिम निपटान, आहरण तथा पेंशन निधि निकासी इत्यादि जैसी विभिन्न ऑनलाईन सेवाएं प्रदान कराने हेतु कई कदम उठाए हैं। हालांकि, कोई निश्चित तिथि तय नहीं की गई है। हस्तांतरण दावों की ऑनलाईन प्राप्ति ईपीएफओ द्वारा पहले ही आरंभ की जा चुकी है।

(ग): हस्तांतरण दावों के अलावा अन्य दावे हस्तगत रुप में प्राप्त होते हैं परन्तु कम्प्यूटर तंत्रों पर प्रसंस्कृत होते हैं तथा सदस्यों को लाभ कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) तथा नेश्नल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनइएफटी) के द्वारा सीधे उनके बैंक खातों में भेज दिया जाता है।

(घ): इपीएफओ के 120 क्षेत्रीय कार्यालयों में से 110 क्षेत्रीय कार्यालयों को एक सेन्ट्रल सर्वर से पहले ही जोड़ा जा चुका है।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3781

बुधवार, 5 अप्रैल, 2017/15 चैत्र,1939 (शक)

संगठित और असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

3781. श्री प्रेमचन्द्र गुप्ता:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि असंगठित कामगारों की बड़ी आबादी को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) संगठित व असंगठित क्षेत्र के कितने कामगार विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ ले रहे हैं तथा कितने अभी लाभ से वंचित हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रति प्रत्येक कामगार द्वारा किए गए अंशदान का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क): असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान करने के लिए असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम,2008 का अधिनियमन किया गया है। इस अधिनियम में असंगठित क्षेत्र के कामगारों से संबंधित उपयुक्त कल्याण योजनाएं यथा: (i) जीवन एवं अशक्तता छत्र (ii) स्वास्थ्य एवं प्रसूति लाभ (iii) वृद्धावस्था संरक्षण तथा (iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के माध्यम से निर्धारित किए जाने वाले अन्य किसी लाभ से संबंधित योजनाएं तैयार करने का प्रावधान है। असंगठित कामगारों के लिए विभिन्न मंत्रालयों द्वारा क्रियान्वित की जा रही तथा इस अधिनियम की अनुसूची-I में सूचीबद्ध सामाजिक सुरक्षा स्कीमों का निम्नवत उल्लेख है:-

i. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (ग्रामीण विकास मंत्रालय)
ii. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (ग्रामीण विकास मंत्रालय)
iii. जननी सुरक्षा योजना (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)
iv. हथकरघा बुनकर समग्र कल्याण योजना (वस्त्र मंत्रालय)
v. हस्तशिल्प कारीगर समग्र कल्याण योजना (वस्त्र मंत्रालय)

vi. मास्टर शिल्पकारों के लिए पेंशन (वस्त्र मंत्रालय)

vii. मछुआरों के कल्याण एवं प्रशिक्षण तथा विस्तार के लिए राष्ट्रीय योजना (पशुपालन, दुग्धपालन एवं मत्स्यपालन विभाग)

viii. आम आदमी बीमा योजना (वित्तीय सेवाएं विभाग)

ix. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)

इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार ने सभी नागरिकों विशेष रुप से लक्षित असंगठित कामगारों के लिए अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी शुरु की है ताकि उन्हें समग्र सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सके।

(ख): विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ प्राप्त कर रहे संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों कामगार की संख्या अनुबंध-I पर है।

(ग): सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता की शर्तों के साथ-साथ लाभार्थियों के अंशदान के घटक स्कीम दर स्कीम अलग होते हैं यथा कर्मचारी राज्य बीमा नियमावली, 1950 के अनुसार नियोक्ता तथा कर्मचारी प्रतिमाह वेतन का क्रमश: 4.75% और 1.75% अंशदान करते हैं तथापि, 06.10.2017 से दो वर्षों की अवधि के लिए नये क्रियान्वित क्षेत्र में अंशदान की दर को कम करके क्रमश: 3% और 1% कर दिया गया है।

* ****

अनुबंध I

क्र.सं.		योजना का नाम	लाभार्थियों की संख्या
1.	संगठित क्षेत्र	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन	3,76,23,000
2.		कर्मचारी राज्य बीमा निगम	1,89,21,250
3.	असंगठित क्षेत्र	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना सहित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (28.02.2017 की स्थिति के अनुसार)	3,27,81,329
4.		जननी सुरक्षा योजना (31.03.2016 की स्थिति के अनुसार)	1,04,16,164
5.		आम आदमी बीमा योजना (31.03.2016 की स्थिति के अनुसार)	4,51,07,984
6.		राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (30.09.2016 की स्थिति के अनुसार)	3,50,62,923
7.		अटल पेंशन योजना (31.10.2016 की स्थिति के अनुसार)	36,66,002
8.		प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (31.10.2016 की स्थिति के अनुसार)	3,06,52,201
9.		प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (31.10.2016 की स्थिति के अनुसार)	9,75,26,192

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4567

बुधवार, 12 अप्रैल, 2017/ 22 चैत्र, 1939 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि खाते में अदावाकृत राशि

4567. श्री संजय सेठ:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि खाते में राज्य-वार अदावाकृत धनराशि कितनी है;

(ख) उक्त राशि के लिए ब्याज का भुगतान करने के लिए पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी राशि निर्धारित की गयी है; और

(ग) क्या सरकार ने इस अदावाकृत/निष्क्रिय धन के उपयोग के लिए कोई योजना तैयार की है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, 1952 के अनुच्छेद 72(6) के अनुसार कुछ राशियों को निष्क्रिय खातों के रुप में वर्गीकृत किया गया है। तथापि, ऐसे सभी निष्क्रिय खातों के निश्चित दावेदार होते हैं। दिनांक 31.03.2016 के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में निष्क्रिय राशि के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण अनुबंध पर है।

(ख): ईपीएफ योजना, 1952 के अनुच्छेद 60 (6) के अनुसार निष्क्रिय खातों पर ब्याज के भुगतान हेतु कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा निधि की कोई राशि निर्धारित नहीं की गई है, जिसमें यह उल्लेख है कि योजना के अनुच्छेद 72 के उप-अनुच्छेद (6) के उपबंधों के अंतर्गत जिस तारीख से यह खाता निष्क्रिय हुआ है उस तारीख से सदस्य के खाते में ब्याज जमा नहीं किया जाएगा।

(ग): इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

* ****

अनुबंध

श्री संजय सेठ द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि खाते में अदावाकृत राशि के संबंध में दिनांक 12.04.2017 को उत्तर के लिए नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4567 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 31.03.2016 के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ)में निष्क्रिय खातों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**निष्क्रिय खातों की राशि (करोड़ में)**
1	आंध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित)	3,493.95
2	बिहार	238.90
3	छत्तीसगढ़	358.62
4	दिल्ली	5,045.03
5	गोवा	225.54
6	गुजरात (दमन और दीव और दादरा एवं नागर हवेली सहित)	2,597.94
7	हरियाणा	2,270.78
8	हिमाचल प्रदेश	245.99
9	झारखंड	416.87
10	कर्नाटक	6,067.27
11	केरल (लक्षद्वीप सहित)	411.93
12	मध्य प्रदेश	989.45
13	महाराष्ट्र	8,349.02
14	असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्यों (उत्तर पूर्वी क्षेत्र)	231.91
15	ओडिशा	687.03
16	पंजाब (चंडीगढ़ सहित)	1,275.17
17	राजस्थान	848.94
18	तमिलनाडु (पुडुचेरी सहित)	2,995.80
19	उत्तराखंड	175.11
20	उत्तर प्रदेश	2,079.81
21	पश्चिम बंगाल (सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह सहित)	1,860.09
	कुल	**40,865.14**

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4569

बुधवार, 12 अप्रैल, 2017/ 22 चैत्र, 1939 (शक)

निर्माण क्षेत्र में काम कर रहे लोग

4569. श्री पलवई गोवर्धन रेड्डी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि निर्माण क्षेत्र में काम कर रहे लोगों की संख्या 2004-05 में 20 मिलियन से बढ़कर अब लगभग 50 मिलियन हो गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार निर्माण कामगारों की रक्षा किस प्रकार कर रही है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन कामगारों के पास कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है;

(घ) यदि हां, तो सरकार उन्हें सामाजिक सुरक्षा नेट प्रदान करने के लिए किस प्रकार योजना बना रही है; और

(ङ) देश में निर्माण कामगारों के कल्याण तथा हित के लिए भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड क्या भूमिका निभा रहा है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क): जी हां। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (2004-2005) के प्राक्कलनों के अनुसार, देश में लगभग 25 मिलियन भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार थे, जो 2011-12 में बढ़कर लगभग 50 मिलियन हो गए हैं।

(ख) से (ङ): भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों के रोजगार और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए तथा सामाजिक सुरक्षा सहित उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के उपायों का प्रावधान करने के लिए, सरकार ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार(रोजगार का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 का अधिनियमन किया है।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार अधिनियम, 1996 की धारा 18 के अनुसार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन ने सन्निर्माण कामगारों के कल्याण के लिए राज्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड का गठन किया है। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण उपकर

अधिनियम, 1996 के अंतर्गत, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन द्वारा सन्निर्माण की लागत की 1% की दर पर उपकर लिया जाता है तथा सामाजिक सुरक्षा सहित सन्निर्माण कामगारों के कल्याण संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए उनके संबंधित राज्य भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड को दिया जाता है।

अधिनियम की धारा 22 के संबंध में राज्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्डों द्वारा उपकर निधि का उपयोग सन्निर्माण कामगारों के कल्याण हेतु किया जाता है:

अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत, राज्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्डों के कार्य इस प्रकार हैं:

(क) दुर्घटना के मामले में लाभार्थी को तत्काल सहायता प्रदान करना;
(ख) साठ वर्ष की आयु पूरी कर चुके लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान करना;
(ग) इस राशि से अनधिक तथा यथा विहित निबंधन और शर्तों पर मकानों के निर्माण हेतु लाभार्थी को ऋणों और अग्रिमों की संस्वीकृति देना;
(घ) लाभार्थियों की समूह बीमा स्कीम के प्रीमियम के संबंध में अपने विवेकानुसार उपयुक्त मानी गई राशि का भुगतान करना;
(ङ) लाभार्थियों की संतानों की शिक्षा के लिए यथा विहित वित्तीय सहायता देना;
(च) लाभार्थी अथवा, यथा निर्धारित आश्रितजन की बड़ी बीमारियों के उपचार हेतु चिकित्सा व्यय उठाना;
(छ) महिला लाभार्थियों को प्रसूति प्रसुविधा का भुगतान करना; तथा
(ज) यथा विहित अन्य कल्याणकारी उपायों और सुविधाओं के प्रावधान और उन्नति करना।

केन्द्रीय सरकार अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत यथा अधिदेशित भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों को उचित सामाजिक सुरक्षा छत्र प्रदान करने के लिए समय-समय पर राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन को भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 की धारा 60 के अंतर्गत दिशा-निर्देश जारी करती रही है।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4574

बुधवार, 12 अप्रैल, 2017/22 चैत्र,1939 (शक)

छत्तीसगढ़ राज्य में विकास कार्य

4574. श्रीमती छाया वर्मा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत 3 वर्षों में छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार से विकास संबंधी कार्यों हेतु मंत्रालय को कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा उनकी धनराशि योजना-वार कितनी है एवं उन पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव किन कारणों से अभी तक लंबित हैं;

(ग) प्रस्तावों के निपटारे हेतु क्या कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) प्रस्तावों में लंबा समय लगने से क्या विकास संबंधी कार्यों में बाध उत्पन्न होती है और कार्य की लागत की बढ़ी हुई राशि को किस तरह समायोजित किया जाता है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) से (ड.): पिछले तीन वर्षों के दौरान श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार से विकास कार्यों से संबंधित कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय कार्य से हटाए गए बच्चों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम का क्रियान्वयन कर रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य को जारी की गई निधि निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	निर्गत निधि (लाख रुपये में)
2014-15	432.53
2015-16	26.00
2016-17	0

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार से बंद पड़े विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों को फिर से खोलने के लिए नया सर्वेक्षण कराने के लिए प्रस्ताव भेजने हेतु कहा गया है।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 354

बुधवार, 5 अप्रैल, 2017/15 चैत्र, 1939 (शक)

गैर-सरकारी क्षेत्र के कामगारों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाना

***354. श्री प्रभात झा:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बड़ी संख्या में गैर-सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले कामगार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रदान किए जाने वाले सामाजिक सुरक्षा के लाभ से वंचित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के कामगारों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 'कर्मचारी नामांकन अभियान' नामक कोई अभियान आरंभ किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*

****

गैर-सरकारी क्षेत्र के कामगारों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने से संबंधित श्री प्रभात झा द्वारा दिनांक 05.04.2017 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न **संख्या 354 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण**

(क) ओर (ख): कर्मचारी भवष्यि निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 उन अनुसूचित उद्योगों और अधिसूचित स्थापनों पर लागू है जिनमें 20 अथवा उससे अधिक कर्मचारी हों चाहे वे सार्वजनिक क्षेत्र में नियोजित हों अथवा निजी क्षेत्र में और उसमें शामिल होने के समय जिनकी मजदूरी प्रतिमाह 15,000/-रुपये की मजदूरी सीमा से अधिक न हो।

(ग) और (घ): जी, हां। दिनांक 01.01.2017 से 31.03.2017 तक की अवधि के लिए कर्मचारी नामांकन अभियान शुरू किया गया था और इसे अब 30 जून, 2017 तक विस्तारित कर दिया गया है। इस अभियान के दौरान, स्थापनों को अपने कामगार नामांकित करने के लिए विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहनों की पेशकश की जा रही है। कर्मचारी नामांकन अभियान की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

(i) पहले से ही शामिल अथवा शामिल होने वाला कोई भी नियोक्ता 01.04.2009 और 31.12.2016 के बीच किसी कारण से अनामांकित रह गए कर्मचारियों का नामांकन, अभियान अवधि के दौरान ऐसे कर्मचारियों की घोषणा करके कर सकता है। तथापि, ऐसी घोषणा केवल उन्हीं कर्मचारियों के संबंध में की जा सकेगी जो जीवित हों।

(ii) यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के अंशदान का हिस्सा जमा नहीं करवाया गया घोषित किया गया हो, वह माफ समझा जाएगा।

(iii) इस अभियान के अंतर्गत जिन कर्मचारियों के लिए घोषणा की गई हो, उनके संबंध में नियोक्ता द्वारा अदा की जाने वाली क्षति प्रति वर्ष 1 (एक) रुपये की दर पर होगी।

(iv) इस घोषणा के अंतर्गत किए गए अंशदान के संबंध में नियोक्ता से कोई प्रशासनिक प्रभार एकत्र नहीं किए जाएंगे।

*****